



Neutral Citation No. - 2026:AHC:8349

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 139 वर्ष 2025

पप्पू

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: राजिवा, सुरेश चंद्र

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनी गईं और रिकॉर्ड पर प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन किया गया।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि एफ.आई.आर. अज्ञात स्थान पर दर्ज की गई थी।

एक सह-आरोपी, सलमान को दो सप्ताह से अधिक समय बाद गिरफ्तार किया गया, जिसने अपने

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इकबालिया बयान में आवेदक और अन्य सह-आरोपियों का नाम लिया। उक्त सह-आरोपी, सलमान और एक अन्य सह-आरोपी, अकबर, जिसके विरुद्ध गोलीबारी की भूमिका उपरोक्त इकबालिया बयान में सामने आई, को पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है, इसलिए आवेदक को भी जमानत पर रिहा किया जाए। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की असत्यता को सिद्ध करने के लिए कई अन्य दलीलें भी न्यायालय के समक्ष रखी गई हैं। वे परिस्थितियाँ, जिनके अनुसार अधिवक्ता ने बताया है, जिनके कारण आरोपियों को झूठा फंसाया गया, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया है कि वह विधि के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी, वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा और न्यायालय द्वारा उचित समझी जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। आवेदक आगे बताता है कि उसके नाम पर सात आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें वह जमानत पर है। आवेदक 24.01.2016 से जेल में बंद है।

3. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है, लेकिन वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

4. सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला मानता है। तदनुसार, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

5. आवेदक पप्पू को मुकदमा अपराध संख्या 27/2016, धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत, पुलिस स्टेशन गभाना, जिला अलीगढ़ में, व्यक्तिगत मुचलका भरने और दो स्थानीय जमानतदार

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पेश करने पर, प्रत्येक समान राशि के, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii) आवेदक अभियोजन गवाहों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
 - iii) आवेदक अवर न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
 - iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा, जिसका आवेदक पर आरोप है या जिसके किए जाने का संदेह है।
 - v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सके।
6. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12 जनवरी 2026

मुस्तकीम.

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।